

**ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग—1

1 (क) प्रस्तावना:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०	नाम	अवधि
1	श्रीमति ममता रानी	01/04/2013 से 31/03/2016

सचिव:—

क्र०	नाम	अवधि
1	श्री करतार चन्द	01.04.2013 से 26.09.2013
2	श्री राम चन्द	27.9.2013 से 14.02.2014
3	श्री कृष्ण नन्द	15.2.2014 से 20.03.2014
4	श्री राम कृष्ण	21.03.2014 से 02.03.2015
5	श्री बलविन्द्र कुमार	03.03.2015 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.25
2	9	अनुदान राशि का अवरोधन	19.73
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	1.68
4	11	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	0.50

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 9.1.17 से 16.1.17 तक ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 05/13, 06/14 व 04/15 एवं व्यय के लिए माह 04/2013, 12/2014, व 10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना सं0 32 दिनांक 20/01/2017 द्वारा सचिव, पंचायत सौकणी दा कोट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:—

4.1 स्व: स्रोत व अनुदान:—

ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व: स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:—

(क) स्व: स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	618436.00	271017.00	3934.00	893387.00	877260.70	16126.30
2014-15	16126.30	399702.00	1572.00	417400.30	391722.90	25677.40
2015-16	25677.40	294945.00	6291.00	326913.40	158031.98	168881.42

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	978889.50	4227763.50	39280.00	5245933.00	3861783.25	1384149.75
2014-15	1384149.75	4475002.00	37328.00	5896479.75	3795703.35	2100776.40
2015-16	2100776.40	5206789.00	58453.00	7366018.40	5393198.12	1972820.28
					कुल योग	2141701.70
						(क+ख)

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के०सी०सी० बैंक धर्मशाला	20002132800	1647867.50.00
2	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100079614	107206.77
3	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100083592	2419.82
4	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100072639	3379.92
5	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100079605	8814.77
6	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100074600	569.50
7	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100079508	58.00
8	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100071418	36732.00
9	पी०एन०बी० खन्यारा	2338000100050187	168881.42
10	हि० ग्रामीण बैंक दाडी	87950100625706	5382.00
11	एच०डी०एफ०सी० धर्मशाला	50100059164306:	160390.00
कुल योग			2141701.70

5 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना:-

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित

है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियमों के विरुद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए उपरोक्त नियमों के अनुसार केवल दो बचत खोल कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5.3 खाता 'ख' में अर्जित ₹1.35 लाख ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹135061/— खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013-14	39280.00
2014-15	37328.00
2015-16	58453.00
कुल योग	135061

5.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश:—

ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि

निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व ₹25000/-की वसूली हेतु शेष थी।

मोबाईल टावर:-

क्र०सं०	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियों	अन्तशेष
1	2013-14	—	6000.00	6000.00	2000.00	4000.00
2	2014-15	4000.00	10000.00	14000.00	शून्य	14000.00
3	2015-16	14000.00	20000.00	34000.00	9000.00	25000.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹19.73 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1972820 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न-भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.68 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹168131 के रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस

अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित की जाये।

11 क्रय किये गये ₹0.50 लाख के सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारे:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान परिशिष्ट "ख" पर वर्णित क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया, जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

12 वाउचर संख्या 13, दिनांक 12.4.13, ₹10150/-

₹10150 का भुगतान मै0 चावला ऐजैन्सीज डाक घर खन्यारा, को बिल संख्या 14, दिनांक 28.3.12 की एवज में निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	क्रैशर रेत	200 फीट	23.00	4600.00
2	क्रैशर मिक्स	200 फीट	24.00	4800.00
3	लोकल बजरी	50 फीट	15.00	750.00
4	बोल्डर	400 फीट	14.00	5600.00
			योग	15750.00

वाउचर की गहन जाँच करने पर पाया गया कि ₹15700.00 के स्थान पर ₹10150.00 का ही भुगतान उक्त आपूर्तिकर्ता को किया गया। इसके अतिरिक्त वाउचर में निम्न विवरणानुसार अनियमिततायें पाई गई :-

- 1 उपरोक्त वर्णित बिल दिनांक 23.03.2012 को आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था जबकि इसका भुगतान एक वर्ष बाद 12.04.2013 को, किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भुगतान की गई राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।
- 2 उपरोक्त वर्णित बिल द्वारा क्रय किये गये सामान को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज नहीं किया गया, जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अभिलम्ब इसे स्टॉक रजिस्टर पर

दर्ज किया जाना व उपयोग सम्बन्धी अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण को दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्ट्रों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख-रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं०	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	स्टॉक रजिस्टर
8	विकास निष्पादन रजिस्टर
9	पेशगी रजिस्टर

15 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 लघु आपत्ति विवरणिका:—यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष :—लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) [87/2017-खण्ड-1-](#) 2850—2853 दिनांक:
25.05.2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता /—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

0177—2620881

